न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (डीग) राज0
पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 01/22 **तारीख दायरा:–21.01.2022**
भागवती पत्नी माना जाति गुर्जर निवासी ग्राम सिरथली तहसील नगर जिला डीग।
----प्रार्थीया

बनाम

तहसीलदार तहसील नगर जिला डीग।
------अप्रार्थी

प्राथर्ना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट

उपस्थितः–
1. अधिवक्ता श्री ललित अवस्थी प्रार्थीगण।
2. पैरोकार सरकार।

निर्णय **दिनांकः–24.01.205**

प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 196/0.13, 197/0.05, 198/0.05, 199/0.03, 200/0.03, 201/0.03, 202/0.04, 396/0.08, 397/0.06, 398/0.06, 399/0.09, 400/0.13, 401/0.13, 402/0.28, 403/0.32, 404/0.57, 405/0.22, 406/0.03, 407/0.10, 408/460/0.04, 409/0.25 बाके ग्राम सिरथली तहसील नगर मे लीला वल्द मौहरसिंह, दरवो, दीवल पुत्रीयान मोहरसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम सिरथली का 1/16 हिस्सा जरिये बयनामा दिनांक 28.08.2006 को कय किया था जिसका जमाबंदी संवत 2061से 2064 मे अमल दाखिल खारिज संख्या 328 दिनांक 18.09.2006 से हो गया, उसके बाद सवंत 2065 से 2068 मे प्रार्थीया का नाम दर्ज है, इसके उपरांत सवंत 2069 से 2072 मे भी लगातार प्रार्थीया का नाम 1/16 हिस्से पर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदार था परंतु वर्तमान जमाबंदी बनाते समय राजस्व कर्मचारियो ने लापरवाहीपूर्वक प्रार्थीया का नाम जमाबंदी से प्रथक कर दिया है, जिससे प्रार्थीया के हितो पर कुठारघात हुआ है। अत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 577/0.77 बाके ग्राम जालूकी तहसील नगर के 1/4 हिस्सा पर राजेन्द्र सिंह के स्थान पर गजेन्द्र सिंह दर्ज करने के आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना के संबंध मे तहसीलदार नगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई, तहसीलदार नगर ने अपनी रिपोर्ट मे प्रार्थी का नाम आराजी खसरा नम्बर 196/0.13, 197/0.05, 198/0.05, 199/0.03, 200/0.03, 201/0.03, 202/0.04, 396/0.08, 397/0.06, 398/0.06, 399/0.09, 400/0.13, 401/0.13, 402/0.28, 403/0.32, 404/0.57, 405/0.22, 406/0.03, 407/0.10, 408/460/0.04, 409/0.25 बाके ग्राम सिरथली तहसील नगर मे तहसील नगर पर प्रार्थीया का नाम 1/16 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदार करने के आदेश फरमाया जावें।

वकील प्रार्थीया की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जमाबंदी संवत 2061से 2064 मे अमल दाखिल खारिज संख्या 328 दिनांक 18.09.2006 से हो गया, उसके बाद सवंत 2065 से 2068 मे प्रार्थीया का नाम दर्ज है, इसके उपरांत सवंत 2069 से 2072 मे

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज0

भी लगातार प्रार्थीया का नाम 1/16 हिस्से पर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदार था परन्तु वर्तमान जमाबदी मे प्रार्थीया का नाम हटा दिया गया। अत प्रकरण फर्द बदर का होने से तहसीलदार नगर को आदेशित किया जाता किया जाता है कि प्रार्थीया के प्रकरण को दर्ज किया जाकर लैण्ड रिकॉर्ड रूल 1957 के नियम 166 के तहत नियमानुसार कार्यवाही करें तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट. का नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरेइजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

24/1/25

(दुर्गा प्रसाद मीना) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज०